मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-10/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- परामर्शी नियुक्त करने के संबंध में ।

संदर्भ- इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 11-9/04/नियम/चार, दिनांक 15-12-2004.

--●●--

संदर्भित पत्र से परामर्शी नियुक्ति की जारी सामान्य शर्तों को वर्तमान परिदृश्य में पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है । अतः राज्य शासन एतद् द्वारा संदर्भित निर्देशों को निरस्त करते हुए निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करता है:-

(1) **परामर्शी की नियुक्ति** - विशिष्ट प्रवृत्ति के ऐसे कार्य/सेवायें जिनके लिये विभाग में पद स्वीकृत नहीं हैं तथा कार्य/सेवायें निरन्तर स्वरूप की नहीं है, के लिए परामर्शी की नियुक्ति की जा सकती है । परामर्शी के नियोजन के पूर्व कार्य/सेवाओं के स्वरूप, परिणाम (deliver ables) एवं समयावधि की सुस्पष्टता का निर्धारण किया जाना आवश्यक है । परामर्शी का आशय किसी व्यक्ति तथा फर्म से रहेगा ।

(2) **अर्हता** -

(i) संबंधित कार्य के लिए आवश्यक व्यावसायिक योग्यताधारी एवं अनुभवी फर्म/व्यक्ति।

(3) **अवधि** -

(i) यह पूर्णतः अस्थायी एवं गैरसरकारी स्वरूप की नियुक्ति होगी जिसे नियोजक द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगा ।

(ii) कार्य के स्वरूप एवं आवश्यकता के आधार पर प्रारम्भिक नियोजन की अवधि का निर्धारण प्रकरणवार किया जा सकेगा परन्तु नियोजन की न्यूनतम अवधि एक दिवस से अधिक तथा अधिकतम अवधि दो वर्ष होगी।

(iii) दो वर्ष के पश्चात परामर्शी की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी ।

(4) <u>परामर्शी की श्रेणी एवं मानदेय</u> -

(i) कार्य के स्वरूप, विशिष्टता एवं जटिलता के आधार पर परामर्शी को क्रमशः श्रेणी- I, श्रेणी- II एवं श्रेणी- III में वर्गीकृत किया जाए ।

(ii) मानदेय निर्धारित किये गये कार्य की पूर्णता प्रतिशत पर आधारित (नीचे तालिका अनुसार) किया जाना होगा ।

कार्य पूर्णता का प्रतिशत	भुगतान योग्य राशि (कुल भुगतान योग्य राशि से प्रतिशत के रूप में)
5%	5%
25%	20%
50%	25%
75%	25%
100%	25%

अगर किसी परामर्शी को मासिक दर पर रखा जाता है तब पूर्णता प्रतिशत पर आधारित शर्त लागू नहीं होगी ।

(iii) परामर्शी (व्यक्ति/फर्म)मानदेय की अधिकतम दरें निम्नानुसार रहेंगी (एक वर्ष से कम की अवधि के लिए अधिकतम दरें अनुपातिक आधार पर निर्धारित की जा सकेंगी । अनुपातिक गणना के लिए एक माह को 25 कार्य दिवस माना जा सकेगा) ।

श्रेणी	प्रतिवर्ष दर
श्रेणी -I	₹ 9.00 लाख
श्रेणी -II	₹ 7.50 लाख
श्रेणी -III	₹ 3.75 लाख

उपर्युक्त निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते आदि देय नहीं होगें। दूरभाष अथवा वाहन आदि की सुविधा भी पृथक से देय नहीं होगी । प्रशासकीय विभाग द्वारा परामर्शी सेवाओं पर प्रति वर्ष ₹ 15 लाख से अधिक व्यय नहीं किया जा सकेगा ।

(iv) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लिए ऊपर वर्णित दरें ही प्रभावी रहेगीं एवं पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति सुविधायें उन्हें पूर्वानुसार प्राप्त होती रहेंगी ।

(5) नियुक्ति प्रक्रिया -

(i) परामर्शी की नियुक्ति के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव में कार्य के स्वरूप, शर्तें, अवधि इत्यादि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए ।

(ii) परामर्शी नियुक्ति के लिये राज्य शासन (प्रशासकीय विभाग) की अनुमति आवश्यक होगी ।

(iii) परामर्शी की नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें विज्ञापन का प्रकाशन किया जाना अधिमान्य होगा ।

6/ यह परिपत्र विभाग के द्वारा गठित क्रय/विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के लिए लागू नहीं होगा ।

7/ परामर्शियों को मानदेय का भुगतान, उद्देश्य शीर्ष # 31 परामर्शी सेवाओं में प्रावधानित बजट के विरूद्ध विकलनीय होगा । परामर्शी की नियुक्ति के पूर्व प्रशासकीय विभाग को यह सनिश्चित करना होगा कि विभाग के अंतर्गत मानदेय के भुगतान हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान है ।

8/ उपर्युक्त निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विभाग यदि कार्य विशेष के आधार पर कोई विशिष्ट शर्त सम्मिलित/विलोपित करना चाहता है तो वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा । वित्त विभाग द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन का कोई प्रकरण मान्य नहीं किया जाएगा ।

9/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा । इस आदेश के जारी होने के पूर्व तत्समय जारी निर्देशों के अनुसार नियुक्त किये गये परामर्शियों की सेवायें/संविदा की शर्तें पूर्व निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के अधीन संविदा अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगीं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-10/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्राालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग